संख्या-362/2017/62/22-2-2017-17(26)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री महेश प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद-फतेहपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-22-12-2016) दिनांक-03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री महेश प्रसाद पाण्डेय, निवासी-1बी आबूनगर फतेहपुर, थाना-कोतवाली-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 19/20.02.1983 को रात्रि लगभग 12:00 बजे से प्रात: लगभग 06:30 बजे के मध्य मऊघाट हरिद्वार स्थित अलका होटल के कक्ष सं0-17ए में जहर देकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अति0 सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 05.05.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-1084/1989 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.1998 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.12.2016 तक 18 वर्ष 03 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 19/20.02.1983 को रात्रि लगभग 12:00 बजे से प्रात: लगभग 06:30 बजे के मध्य मऊघाट हरिद्वार स्थित अलका होटल के कक्ष सं0-17ए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में जहर देकर अपनी पत्नी श्रीमती ऊषा पाण्डेय की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री महेश प्रसाद पाण्डेय को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मनोज कुमार पाण्डेय (बन्दी संख्या-1643/11) पुत्र श्री महेश प्रसाद पण्डेय, निवासी जनपद-फतेहपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-362/2017/62(1)/22-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।